ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218
PP. No.- 159-161
ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- III, Issues-29, YEAR- July-Sept.-2023

हिन्दू विवाह के बदलते प्रतिमान : एक समाजशास्त्रीय अवलोकन

डॉ0 प्रवीन कुमार

सहायक प्राध्यापक– समाजशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय, मांडी हरिया, चरखी दादरी (हरियाणा), भारत

Received-03.09.2023, Revised-10.09.2023, Accepted-15.09.2023 E-mail: parveenjangra27@gmail.com

सारांश: ***सामाजिक परिवर्तन का नियम एक सार्वभौमिक व शाश्वत नियम है। जब नई परिस्थितियाँ उभरती है तो समाज को नई चुनौतियों का सामना करना पडता है। हम स्वतंत्र रूप में पारंपरिक बने रहने की उम्मीद नहीं कर सकते है। पश्चिमी शिक्षा के आगमन, नगरीकरण, आधुनिक कानून, औद्योगीकरण, वैश्वीकरण और संचार के कारण हुए बदलावों का प्रभाव भारतीय समाज की सभी प्राथमिक एवं द्वितिय संस्थाओं पर देखा जा सकता है, तो विवाह नामक संस्था अछूती कैसे रह सकती है, यह शोध पत्र हिन्दू समाज में विवाह के बदलते प्रतिमानो पर केन्द्रत है। विवाह भारतीय समाज की वह प्रमुख सस्था है, जो विश्व में भारत को एक पृथक पहचान प्रदान करती है। वर्तमान शोध पत्र हिन्दू विवाह के बदलते प्रतिमानो एक समाजशास्त्रीय अवलोकन के आधार पर लिखा गया है यह एक द्वितीयक डेटाबेस अध्ययन है।***

कुंजीभूत शब्द– सामाजिक परिवर्तन, सार्वभौमिक, शारवत नियम, पारंपरिक,नगरीकरण, आधुनिक कानून, औद्योगीकरण, वैश्वीकरण।

हिन्दू विवाह को संस्कार मानते हैं, जिससे धर्म (धार्मिक कर्तव्यो की पूर्ति), रति (यौन सन्तुष्टि), और प्रजा(प्रजनन), तीन प्रमुख उद्देश्य है। धर्म के लिए किया गया विवाह धार्मिक विवाह कहलाता है, जबकि यौन सुख के लिए किया गया विवाह अधार्मिक विवाह कहलाता है। हिन्दू विवाह को पवित्र माना जाता है, जिसके कारण बताए गए है।

1. धर्म विवाह का सर्वोच्च उद्देश्य है।
2. विवाह समारोह में कुछ सस्कार शामिल है (जैसे हवन, कन्यादान, पाणिग्रहण, सप्तपदि आदि) जिन्हे पवित्र माना जाता है।
3. यह संस्कार पवित्र ब्राह्मणों द्वारा पवित्र वेद ग्रन्थों से मंत्रोच्चारण के साथ पवित्र अग्नि देव के समक्ष सम्पन्न होते है।
4. बन्धन (स्त्री–पुरूष के बीच) अटूट व अटल माना जाता है।
5. स्त्री की पवित्रता और पुरूष की वफादारी पर बल दिया जाता है। विश्वास और साथी के प्रति वफादारी आज भी विवाह के आवश्यक तत्व माने जाते है (राम आहुजा, 2022)।

विवाह प्राथमिक रूप से कर्तव्यों की पूर्ति के लिए होता है इसलिए विवाह का मौलिक उद्देश्य धर्म था। हिन्दू विवाह को परिभाषित करते हुए आप लिखते है कि हिन्दू विवाह एक पवित्र सस्कार है (कापडिया,1966)।

हिन्दूओ के बीच आमतौर पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए विवाह को अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि पहली जगह मे, पुत्र के जन्म को मोक्ष प्राप्त करने के लिए कहा जाता है, जिससे अंतिम लक्ष्य है हिन्दू जीवन! (पी.एन. प्रभु, 1961)

भारत में विवाह एक संस्कार है, कोई भी सामान्य पुरूष या महिला इस संस्कार को किए बिना मरना नही चाहते और इसी कारण से, हिन्दू माता पिता ने हमेशा अपने बच्चों के विवाह को अपने सबसे पवित्र कर्तव्यों में से एक माना है (इरावती कुर्वे, 1965)

हिन्दूओं के बीच विवाह के क्षेत्र में अंतर्विवाही और बहिर्विवाही नियमों द्वारा प्रतिबंधित है। हिन्दू विवाह में व्यक्ति को केवल जाति के भीतर ही विवाह करने की अनुमति देता है। यह अंतर्जातीय विवाह की बात नहीं करता है। दूसरी ओर बहिर्विवाह का नियमों का पालन करता है कि व्यक्ति अपने गोत्र, प्रवर और सपिड में विवाह नही कर सकता ।

हिन्दु विवाह के बदलते प्रतिमान– पिछले कुछ दशकों के दौरान एक संस्कार के रूप में विवाह का विचार कमजोर हुआ है और विवाह की व्यक्तिगत अवधारणा का चलन जोर पकड रहा है। आज युवा लोग धार्मिक कर्तव्यों के पालन के लिए नही बल्कि साहचर्य के लिए विवाह करते है और वे वैवाहिक संबंधों को अटूट नही मानते, क्योकि नगरीकरण, आधुनिकरण, वैश्वीकरण, संचार, शिक्षा और सामाजिक संस्थाओं ने प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है, जिससे विवाह नामक संस्था में आमूल–चल बदलाव हुए है।

मर्चेंट के अध्ययन में औसतन युवा शिक्षित महिला ने 19.7 वर्ष की आयु में विवाह का समर्थन किया। 1959 में, अपने अध्ययन के पहले चरण के दौरान अधिकांश शिक्षित कामकाजी महिलाओं ने सोचा कि लडकी के विवाह के लिए सबसे उपयुक्त आयु 20 या 24 वर्ष के बीच हैं, जबकि उसी अध्ययन के दूसरे चरण में संबधित आकड़ें 18 और 22 वर्ष के बीच के है।

रॉस ने बैंगलोर में रहने वाले शिक्षित ब्राह्मण परिवारों का अध्ययन किया और अपने अध्ययन में पाया कि महिलाओं को उन्नीस वर्ष की आयु से पहले विवाह नही करना चाहती थी।

गोरे के अध्ययन में उत्तरदाताओं की शिक्षा और लडकियो के लिए दी गई विवाह की उम्र के बीच सीधा संबंध था। अधिक शिक्षित उत्तरदाताओ ने उच्च आयु का सुझाव दिया।

मैथ्यू के अध्ययन मे विश्वविद्यालय के छात्रों ने विवाह की आयु 22 और 24 वर्ष के बीच किसी भी आयु को सही माना है। घुर्ये ने महिला के विवाह की औसत आयु 22 वर्ष होनी चाहिए और पुरूष की औसत आयु 25 वर्ष से अधिक नही होना चाहिए (प्रियंका एन. सवाली, 2018)।

अनेकों अध्ययनों से पता चलता है कि न केवल विवाह से संबंधित मान्यताओं में बदलाव हुआ, बल्कि नवीन अधिनियमों के द्वारा इन परिवर्तनो को कानूनी रूप देने की भी व्यवस्था कर दी गयी है, इस प्रकार विवाह से संबंधित बदलावों को निम्नांकित क्षेत्रों में स्पष्ट किया जा सकता है।

अनुरूपी लेखक/संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- III, Issues-29, YEAR- July-Sept.-2023

हिन्दू विवाह अब धार्मिक संस्कार नही– हिन्दू विवाह एक धार्मिक संस्कार या उसमें विवाह संबंधित अनेक धार्मिक क्रियाओं का समावेश था। हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अनुसार अब विवाह स्त्री पुरूष के बीच एक कानूनी समझौता बन गया है।

वैवाहिक जीवन साथी के चुनाव में परिवर्तन– प्राचीन समय में विवाह साथी का चुनाव या चुनने का दायित्व परिवारजनों पर रहता था। अब लडका–लडकी स्वयं ही जीवन साथी चुनने लगे है। अब माता–पिता लडका–लडकी की सहमती होने पर ही हॉ करते है। विज्ञापन/इंर्टनेट के माध्यम से एक दूसरे को पसंद करते है और विवाह कर लेते है।

विवाह की आयु– वर्तमान समय के युवा शिक्षा, रोजगार एवं अपने कैरियर को ज्यादा महत्व देते है, जिससे विवाह की आयु में बदलाव हुआ है। पहले बाल विवाह का प्रचलन था। इसके बाद विवाह कि लडकी कि आयु 18 वर्ष व लडकें कि आयु 21 वर्ष की गई है। आज लड़कें व लड़कियां अपने कैरियर व शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते है। उनका मानना है जब तक वह अपने पैरो पर नही खडे हो जाते तब तक विवाह नही करते आज के युवा विवाह को अब 28 से 30 वर्ष तक सोचने लगे है।

विवाह के प्रकार में परिवर्तन– नगरों महानगरों में लड़का–लड़की परस्पर सम्पर्क करते है। उनमें रोमांस चलता है व प्रेम होने पर विवाह कर लेते है। माता–पिता से अनुमति मागते है जहॉ माता पिता सहमति देते है, व्यवस्था बनी रहती है एवं असहमति होने पर व्यवस्था बिगड़ जाती है। सम्बंध टूट जाते है लड़का–लड़की विवाह कर लेते है और बाद में सब ठीक हो जाता है। प्रेम विवाह दिनों–दिन बढते जा रहे है। वर्तमान में लडका–लडकी अपनी पसन्द से प्रेम विवाह करने के लिए जातिए बन्धनों को तोडकर अन्तर्जातिय विवाह करने लगे है। हिन्दू विवाह में अनेक बदलाव देखने मिलते है। जैसे विवाह की आयु, उद्देश्य, प्रकार, विधि–विधान, रीति–रिवाज, पति–पत्नी के अधिकार संस्कारात्मक प्रकृति आदि है।

प्रेम विवाह– वर्तमान में प्रेम विवाह का प्रचलन बढ़ा है सह शिक्षा, औधोगिकरण, आधुनिकरण, चल–चित्र एवं मास–मीडिया आदि के प्रभावों के कारण ऐसे विवाहों को प्रोत्साहन मिला है। नवीन कानून भी उसमें बाधक नहीं बन रहा है, बल्कि उसे प्रोत्साहन ही दे रहा है। ऐसे विवाहो की संख्या बहुत कम है।

बेमेल विवाह की समाप्ति– पहले दहेज से बचने एवं कुलीन विवाह से बचने के लिए बेमेल विवाह हो जाते थे। वर एवं वधु के आयु में 20 वर्ष का अंतर होता था, किन्तु अब वर एवं वधु द्वारा जीवन–साथी का चुनाव स्वयं द्वारा किए जाने एवं अंतर्जातिय विवाह के कारण ऐसे विवाह प्रायः समाप्त हो गए है।

विवाह की अनिवार्यता की समाप्ति– प्राचीन समय में एक हिन्दू के लिउ विवाह एक अति आवश्यक धर्म या जो त्रणों से मुक्ति दिलानें एवं पूरूषार्थ की पूर्ति के लिए करना होता था। आज विवाह में धार्मिक पक्ष कमजोर हुआ है। युवा विवाह के लिए स्वयं निर्णय लेने लगे है कि उन्हें विवाह करना है या नहीं

दहेज पर प्रतिबंध– दहेज निरोधक अधिनियम, 1961 के अनूसार दहेज लेना व देना दोनो ही कानूनी अपराध माना गया है। आज यूवा दहेज विरोधी हो रहे है अंतर्जातिय विवाह के साथ–साथ दहेज की भी समाप्ति होगी, ऐसी अपेक्षा की जाती है।

विवाह के संस्कार में परिवर्तन– वर्तमान में विवाह को एक आवश्यक धार्मिक संस्कार नही माना जाता। पहले विवाह को जन्म जन्मान्तर का बन्धन तथा अटूट सम्बंध माना जाता था। अब कानूनी आधार पर विवाह एक कानूनी समझौता या संविदा बन गया है। विवाह–विच्छेद को भी कानून द्वारा मान्यता प्रदान कर दी जाती है विवाह पहले विधि–विधान से पूर्ण किया जाता था। विवाह सम्बन्धित संस्कारों मे अब औपचारिकता रह गयी है। आज के युवाओं का धार्मिक विधि–विधानों से विश्वास कम हूआ है।

विवाह से सम्बन्धित निषेधो में परिवर्तन– वर्तमान में अंतर्जातिय विवाह को बढावा मिला है। बाल विवाह समाप्त होने लगे है। विलम्ब विवाहो का प्रतिशत बढा है। विधवा विवाह को प्रोत्साहन मिला है। देरी से विवाह करने का युवाओं में आजकल रिवाज सा बन गया है। विवाह करना है या नही इसका निर्णय भी स्वयं युवा ले रहे है। अब विवाह उनका विवाह व्यक्तिगत मामला हो गया है । समाज के प्रति बध इस मामले में पहले जैसे नही रहे।

बाल विवाह की समाप्ति– हिन्दू विवाह के अधिनियम, 1955 में लडके की आयु 21 वर्ष तथा लडकी की आयु 18 वर्ष तय करके बाल–विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गॉव में आज भी बाल–विवाह का प्रचलन है परन्तु शिक्षा के प्रसार के कारण बाल–विवाह का प्रचलन कम हुआ है।

विवाह की स्थिरता में परिवर्तन (तलाक दरों में वृद्धि)– पुराने समय में, विवाह की एक संस्था काफी स्थिर थी और शायद ही कोई तलाक देखा गया हो तलाक होने पर समाज में उसें हेय कि दृष्टि से देखा जाता था। रिश्तेदारी व्यवस्था के डर, मजबूत सामाजिक संहिताओं, विवाहित जोड़ों को कभी भी विवाह तोडने की अनुमति नही दी, भले ही वे साथ रहना चाहते हो या नहीं (गूडी 1973) अब कानून, शिक्षा प्रोद्योगिकी और अपने अधिकारों प्रति अधिक जागरूकता के कारण विवाह की संस्था में स्थिरता बदल रही है। दुनिया भर में तलाक बढ़ रहा है। पंजाब और हरियाणा में औनर किलिंग के केस निरन्तर बढ रहे है।

विवाह से सम्बधित निषेधों में परिवर्तन– वर्तमान समय में अन्तर्जातीय विवाह, प्रेम विवाह को बढावा मिला है। बाल विवाह समाप्त होने लगे है। विलम्ब विवाहों का प्रतिशत बढ गया है। विधवा विवाह को प्रोत्साहन मिला है। देरी से विवाह करने का युवाओं में आजकल रिवाज सा बन गया है। विवाहित रहना है या अविवाहित इसका निर्णय युवा स्वयं करते है। विवाह करना नही करना व्यक्तिगत मामला हो गया है। समाज के प्रतिबंध इस मामले में पहले जैसे नही रहे पुरूष एक से ज्यादा नही कर सकते। विवाह के मामले में महिला–विवाह को समान अधिकार दिए गए है। धर्मशास्त्रों के अनुसार, महिला को दूसरा विवाह करने का अधिकार नही दिया जाता था। वर्तमान में महिला भी पुरूष लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है।

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- III, Issues-29, YEAR- July-Sept.-2023

अन्य परिवर्तनः– परिवर्तन प्रकृति का एक शास्वत नियम है। विवाह नामक संस्था में भी परिवर्तन हो रहे है, परन्तु इसकी गति कभी धीमि तो कभी बहुत तेज प्रतीत होती है। वर्तमान समय में शिक्षा, नगरीकरण, औद्योगिकरण, पाश्चातय संस्कृति, नवीन कानूनों का प्रभाव, महिला आन्दोलन, विज्ञान का प्रसार, धर्म के प्रभाव में कमी, स्त्रियों की शिक्षा तथा आर्थिक स्वतंत्रता ने विवाह के विभिन्न लक्षणों, लक्षयों, स्वरूपों आदि को प्रभावित किया है।

वर्तमान युवा पीढी लिव–इन–रिलेशनशिप यानि बिना शादी साथ रहने का रिवाज अर्थात 'बिन फेरे हम तेरे' दिनोदिन बढ रहा है अभी यह महानगरों व बढ़ें शहरों तक सीमित है। अभिनेता कबीर बेदी को इस प्रथा का जनक माना जाता हैं (राजस्थान पत्रिका 2012)। शिक्षा, संचार एवं स्वतंत्रता के बढते प्रभावों ने आज युवावस्था में प्रेम सम्बन्ध होना दो विषम लिंगों में एक स्वाभाविक प्रवृति है। युवा इस प्रेम–संबंध को शीघ्र से शीघ्र विवाह सम्बंध में परिवर्तित करने की इच्छा भी रखते है, साथ ही उन्हें यह भी डर निरन्तर बना रहता है कि उनके माता पिता उन्हें इस विवाह की विवाह अनुमति नही देंगें, इस कारण से वे घर से भागकर, छिपकर विवाह कर लेते है कुछ दिनों एवं महीनों बाद पता चलने पर माता पिता के समक्ष दो रास्तें है– या तो बच्चों के विवाह को स्वीकार करें या अस्वीकार करे। इसके दूसरे पक्ष में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश जो पैतृक सोच रखते है ये अपनी इज्जत के खातिर 'हत्या' कर देते है।

निष्कर्ष– आज आधुनिकरण, औद्योगिकरण, वैश्वीकरण, शहरीकरण, संचार और शिक्षा के आगमन के साथ, पारंपरिक दृष्टिकोण समाज में पिछड गया। पश्चिमी देशों की मान्यताओं के प्रभाव, आधुनिक शिक्षा तथा औद्योगिकरण के फलस्वरूप भारत में व्यक्ति की विचारधारा विकसित हुई है, जिसके कारण विवाह संस्था के स्वरूप एवं प्रतिमान भी बदल रहे हैं। सामाजिक विधानों के व्यापक प्रभाव से अब हिन्दू विवाह संस्कार न होकर समझौता बन गया है। अब विवाह की अनिवार्यता भी समाप्त हो रही है और स्त्री–पुरूष अविवाहित रहने लगे या लेट मैरिज का प्रचलन बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर 'लिव–इन–रिलेशनशिप' अर्थात् 'बिन फेरे हम तेरे' का रिवाज दिनों दिन बढ रहा है। नई पीढ़ी के लिए रिश्तों के मायने भी बदल रहे हैं, वे अपने फैसले स्वयं ले रहे हैं। धनाढ्य वर्ग अपने बच्चों की शादियों को शाही शादियों का रूप देकर दिखावे में करोड़ों रूपये फूक रहे हैं। प्रेम–विवाह फल–फूल रहे हैं, जिन पर देर–सवेर माता–पिताओं की सहमति की मोहर भी लग रही है। एक ओर यह पक्ष अपराध से भी जुड़ा है। हरियाणा प्रान्त के पुरातनपंथी समाज में 'इज्जत' के खातिर 'हत्या' भी खूब हो रही हैं। भारतीय समाज में विवाह संस्था के नये रूपांतरण हमारे समक्ष निम्न प्रश्न प्रस्तुत करते है जिनके उत्तर हमें तलाशने है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. आहुजा, राम(2022), "भारतीय समाज" प्रकाशन रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, पृ० 107–110.
2. कपाडिया, के०एम० (1966), "मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया", प्रकाशन, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, बाम्बे, पृ० 168.
3. कुर्वे, इरावती (1965), "किनशिप ओर्गनाइजेशन इन इंडिया", प्रकाशन, एशिया पब्लिशिंग हाऊस, लंदन।
4. प्रभू, पी०एम० (1961), "हिन्दू सामाजिक संगठन", प्रकाशन लोकप्रिय प्रकाशन, बाम्बे, पृ० 148–149।

जर्नल/पत्रिका–

1. कुमावत, श्याम एस(2013) "हिन्दू विवाह के बदलते प्रतिमान", जर्नल, आई०जे०एस०आर०, वॉल्यूम–2, मार्च पृ० 380–83, राजस्थान पत्रिका (2012) उदयपुर ।
2. प्रिंयका, एन रूवाली (2018), "भारत में विवाह का बदलता परिदृश्यः एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण", प्रकाशन, आचार्य नरेंद्र देव शोध सस्थान का जर्नल, नैनीताल।
3. राजस्थान पत्रिका (2012), उदयपुर।

*****